न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 374 / 2017

उनवान

जमना पिता मांगीलाल भील, निवासी कालसास, तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा जरिये पंजीकृत मुख्तियार आमः–'

1. हरिओम पिता राधेश्याम शर्मा निवासी माधवनगर, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्टस्

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बनेडा के प्रकरण संख्या सम्प0 / 2016–17 / 4262–63 दि0 14.7.2017

अभिभाषक : 1. श्री श्यामलाल गुर्जर ,अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 27.2.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी / प्रार्थी ने ग्राम कालसास पटवार मण्डल रीछडा की आराजी नम्बर 2303 / 1491 रकबा 5 बीघा भूमि को प्रार्थी जमना लाल पिता उदा मांगू निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा ने औद्योगिक संपरिवर्तन कराने हेतु निवेदन किया । अपीलार्थी हरिओम के पक्ष में खातेदार जमना लाल ने पंजीकृत मुख्तियारनामा दिनांक 13.1.2015

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को उप पंजीयक कार्यालय भीलवाडा मे निष्पादित कराया था। उक्त मुख्तियार नामा के आधार पर प्रार्थी ने संपरिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी हरिओम के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी के पक्ष में खातेदार जमना लाल ने पंजीकृत मुख्तियारनामा दिनांक 13.1.2015 को उप पंजीयक कार्यालय भीलवाडा मे निष्पादित कराया था। उक्त मुख्तियार नामा के आधार पर प्रार्थी हरिओम ने वादग्रस्त आराजियात का सम्परिवर्तन कराने हेतु प्राधिकृत अधिकारी/अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने यह अंकित करते हुए कि '' अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को संपरिवर्तन कराने हेतु स्वर्ण वर्ग के व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाना धारा 42 ख राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 का उल्लंघन है। '' खारिज कर दिया । साथ ही यह भी अंकित किया कि '' अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के खातेदार द्वारानियमानुसार अन्य व्यक्ति को भूमि बेचान नहीं किया जा सकता है। जबकि अपीलार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार नहीं होकर उसके पक्ष में खातेदार द्वारा रजिस्टर्ड

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मुख्तियारनामा पंजिबद्ध कराया गया है जिसके तहत प्रार्थी ने भूमि के रूपान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें किसी प्रकार भी धारा 42 ख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन नहीं है। यदि अपीलार्थी/प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का विक्रय करता है तो धारा 42 ख राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का उल्लंघन माना जा सकता है।

5. अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी निवेदन है कि आवेदन के साथ चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं करने को भी अधीनस्थ न्यायालय ने आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि इसके खण्डन में अपीलार्थी का निवेदन है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ–14(23) पॉलिसी/आर0पी0सी0बी0/पी0एल0जी0/10548–10587 दिनांक 7.3.2013 के परिशिष्ट–3 के क्रम संख्या 19 में आने से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–6 (आ0ई0वी0) –6, 2014–15 दिनांक 20.10.2014 से विहित संपरिवर्तन नियम के पेरा 6 में किये गये संशोधन में ग्रीन कैटेगरी उद्योग में रूपान्तरण शुल्क से मुक्त रखा गया है। अर्थात अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार कृषि भूमि को औद्योगिक सम्परिवर्तन कराने के लिए सम्परिवर्तन शुल्क से मुक्त रखा गया है। जिस कारण अपीलार्थी/प्रार्थी को शुल्क चालान की प्रति संलग्न करना आवश्यक नही था। तहसीलदार भीलवाडा द्वारा भी अभिशंषा की गई थी। उसके बावजूद भी अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जावे।

6. अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उचित बताते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी हरिओम ने ग्राम कालसास पटवार मण्डल रीछडा की आराजी नम्बर 2303/1491 रकबा 5 बीघा भूमि को प्रार्थी जमना लाल पिता उदा मांगू निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा को औद्योगिक संपरिवर्तन कराने हेतु निवेदन किया । अपीलार्थी के पक्ष में खातेदार जमना लाल ने पंजीकृत मुख्तियारनामा दिनांक 13.1.2015 को उप पंजीयक कार्यालय भीलवाडा मे निष्पादित कराया था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को धारा 42 ख राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का उल्लंघन मानते हुए खारिज किया है। जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की भूमि को सवर्ण जाति के व्यक्तियों को भूमि विक्रय किये जाने पर धारा 42 ख राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का उल्लंघन माना गया है। अपीलाधीन प्रकरण में खातेदार जमना लाल ने अपने खातेदारी की आराजी हेतु कतिपय कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है। खातेदार द्वारा अपीलार्थी को भूमि का विक्रय नही किया गया, केवल कतिपय कार्य करने हेतु मुख्तारनामा दिया गया है। धारा 42 आर.टी.एक्ट., अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति व्यक्ति द्वारा भूमि को संपरिवर्तित कराने हेतु केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को POA (मुख्तारनामा) देने हेतु बाध्य नही करता। अतः उपखण्ड अधिकारी कन्वर्जन रूल्स 2007 एवं धारा 42 आर.टी.ए. का पूर्ण अध्ययन करे एवं नियमानुसार कर्न्वजन हेतु नियमो के परिप्रेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थी स्वीकार कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

8. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.7.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 27.2.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

27/2/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा